

कार्यालय
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाकुड़

मनरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यावेदन आमंत्रित करने हेतु जिला के वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्र पर प्रकाशनार्थ सूचना।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक-4729 दिनांक-04.06.2007 एवं नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य (संशोधन) नियमावली 2012 के संकल्प ज्ञापांक-6440 दिनांक-17.07.2012 से निर्गत एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4550 दिनांक-31.05.2016 तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प ज्ञापांक-(N) 848, दिनांक-21.03.2017 एवं मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-650, दिनांक-16.06.2021 के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाकुड़ के अधीन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर किया जाना है। रिक्त पदों की विस्तृत विवरणी निम्नवत है :-

पद का नाम	मासिक परिलब्धि	अनारक्षित	अनु0 जनजाति	अनु0 जाति	अ0पि0वर्ग	पि0वर्ग	कुल पद	निःशक्तता के अनुमान्य प्रवर्ग
प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	19500/-	-	02	-	-	-	02	
तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	19234/-	01	01	-	-	-	02	
तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	17520/-	08	06	-	01	01	16	(01 अनारक्षित कोटि से)
लेखा सहायक	10000/-	01	02	-	-	-	03	
कम्प्यूटर सहायक	10000/-	02	02	-	-	-	04	
ग्राम रोजगार सेवक	7500/-	16	12	03	01	01	33	(01 अनारक्षित कोटि से)

नोट:- आवश्यकतानुसार रिक्त पदों में परिवर्तन संभव है।

1. अर्हता

अनु0जा0/अनु0ज0जा0/पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

2. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ

(i) अनिवार्य योग्यता -

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका स्नातक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता -

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए./पी.जी.डी.बी.ए./पी.जी.डी.बी.एम./पी.जी.डी.आर.डी., बी.सी.ए./बी0एस0सी कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम0सी0ए0एवंपी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0बी0एम0 के प्राप्तांक प्रतिशत से 5 घटाकर एम0सी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

(ख) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

3. तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) के पद के लिए अपेक्षित

शैक्षणिक योग्यताएँ-

(i) अनिवार्य योग्यता -

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक0 अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii) अतिरिक्त योग्यता -

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

(ख) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

4. तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ -

(क) अनिवार्य योग्यता - सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य होगी।

(ख) अतिरिक्त योग्यता -

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0 / बी0ई0, बी0सी0ए0 / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

5. लेखा सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ -

(क) अनिवार्य योग्यता

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी0कॉम आनर्स या सामान्य बी0कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात् एम0कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी0कॉम के कुल प्रतिशत में 5 घटा कर उसे बी0कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ख) अतिरिक्त योग्यता -

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0कॉम, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।

एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।



6. कम्प्यूटर सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं –

(क) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे –

बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सामान्य/बी0सी0ए0/सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पी.जी.डी. सी.ए. उत्तीर्ण। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ख) अतिरिक्त योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

एम0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0/सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

7. ग्राम रोजगार सेवक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं –

(क) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में आई0टी0आई0, मैट्रिक के पश्चात् आई0टी0आई0 की स्थिति में आई0टी0आई0 के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक के प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।

(ख) अतिरिक्त योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में किसी भी संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी0सी0ए0 तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायगा। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त पी0जी0डी0सी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0/को स्नातकोत्तर की श्रेणी में ले जाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायगा/अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

सभी शैक्षणिक योग्यताएँ, जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होगी।

8. आयु सीमा : दिनांक 01.1.2021 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम

क्र0	श्रेणी	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1	अनारक्षित	35 वर्ष	40 वर्ष
2	पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरुष)	40 वर्ष	50 वर्ष

आरक्षण :- अनु0जाति/अनु0जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों (पाकुड़ जिला के लिये प्रभावी) के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

9. राष्ट्रीयता : आवेदक भारत का नागरिक हो।

10. तकनीकी ज्ञान हेतु लिखित/दक्षता जाँच/स्किल परीक्षा ली जा सकती है।

11. प्रथम मेधा क्रमांक का निर्धारण अभ्यर्थी के निर्धारित योग्यता में प्राप्तांक प्रतिशत के औसत अंक के आधार पर किया जायेगा।

12. नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

13. नियुक्ति के नियम एवं शर्तें :-

(क). उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(ख). प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया सकेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर किये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी, तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसे नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(ग). संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(घ). यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसे नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी की इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो, तो उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे।

(च). उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के लिए किसी एक जिला के अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हें इस आशय का एक शपथ पत्र भी अर्पित करना अनिवार्य होगा कि झारखण्ड प्रांत के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। उनके द्वारा अर्पित शपथ पत्र / कोई सूचना यदि कभी भी असत्य पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी। साथ ही इसके लिए उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(छ). औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों का दक्षता जाँच किया जायेगा। दक्षता जाँच में प्राप्त अंक मात्र अर्हक प्रवृत्ति (Qualifying Nature) का होगा।

14. आवेदन कैसे जमा करें :-

(क). आवेदन पत्र दिनांक-28.09.2021 के अपराहन 05:00 बजे तक उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पाकुड़ के कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाकुड़ में केबल निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जायेगा। अन्य माध्यम से समर्पित आवेदन एवं समयवाधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन हेतु लिफाफा के उपर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें।

(ख). आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

(ग). जाँच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र एवं जिले के वेबसाईट <http://www.pakur.nic.in> के माध्यम से दी जायेगी।


9/9/21
उपायुक्त
पाकुड़।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाकुड़ में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्या-01/2021

जिला- पाकुड़।

1. पद का नाम :-
2. आवेदक का नाम :-
3. पिता/पति का नाम :-
4. लिंग :-पुरुष/महिला :-
5. वैवाहिक स्थिति :-विवाहित/अविवाहित :-
- (महिला जो तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा हों तो उल्लेख करें) :-
6. फोन नम्बर/ई0मेल आई0डी0 :-
7. जन्म तिथि :- / /
8. दिनांक 01.09.21 को उम्र:- वर्षमाह दिन
9. कोटि - सामान्य/ओ0बी0सी0/बी0सी0/नि:शक्त श्रेणी/अनु0जा0/अनु0ज0जा0
- (जाति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।)
10. राष्ट्रीयता :-
11. आवेदक का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/ ड्राईविंग लाईसेंस का विवरण :-



क्र0	पहचान पत्र का नाम	पहचान पत्र का नम्बर	प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे

12. स्थायी पता :- आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।
ग्राम- पोस्ट- पंचायत
- प्रखण्ड- थाना- जिला
- पिन कोड-
13. वर्तमान पता :- ग्राम- पोस्ट- पंचायत
- प्रखण्ड- थाना- जिला
- पिन कोड-
14. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र0	शैक्षणिक योग्यता	विद्यालय/ बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	प्रमाण पत्र का संख्या एवं तिथि	मार्क्स (प्राप्तांक)	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	मैट्रिक				
2	इन्टरमिडियट/10+2				
3	स्नातक				
4	स्नातकोत्तर				
5	अन्य योग्यता				

उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

15. तकनीकी दक्षता/ट्रेड का विवरण (यदि कोई हो):-

क्र0	तकनीकी योग्यता का नाम	संस्थान का नाम	प्रमाण पत्र का संख्या एवं तिथि	मार्क्स (प्राप्तांक)	प्राप्तांक का प्रतिशत

तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

16. शारीरिक पहचान के दो चिन्ह (क)
- (ख)

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनायें एवं संलग्न प्रमाण पत्र मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। गलत पाये जाने पर तत्क्षण ही मेरी नियुक्ति बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक :-